उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-12/2019/आडिट-1-1093/दस-2019-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री घनश्याम गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ को दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या- 12/2019/आडिट-1- 1093(1)/दस-2019-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री घनश्याम गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़।
5- सम्बन्धित मण्डल के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।